छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला-रायपुर-492002

क्रमांक/2089/1336/सा/2021/17-दो नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17 NOV 2021

प्रति,

1. संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।

2. नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।

3. मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर।

4. प्रबंध संचालक,
सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड,
सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय :-शासकीय खरीदी में मूल निर्माता OEM (Original Equipment Manufacture) से सामग्री क्रय करने बाबत्।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से प्राप्त पत्र क्रमांक 20-70/2004/11/(6) दिनांक 06.06.2021 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ तत्संबध में निर्देशानुसार लेख है कि, कृपया उक्त पत्र अनुसार शासकीय खरीदी में मूल निर्माता **OEM (Original Equipment Manufacture)** से सामग्री क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित् करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र सिंह गौर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

जावक क्र. 5269 DHS/DD 22.11.21

पृ. क्रमांक/ /1336/सा/2021/17-दो नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपिः-

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आपके पत्र क्रमांक 20-70/2004/11/(6) दिनांक 06.06.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

DD (C. Store) Put up

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

EXHIBIT 3

(8)

मुख्य सचिव कार्यालय
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक F 20-70/2004/11/6 /मु.स./2013

प्रति, रायपुर, दिनांक 03/07/2013

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (समस्त)
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :— शासकीय खरीदी में मूल निर्माता (Original Equipment Manufacturer) से सामग्री क्रय बाबत् ।

आप अवगत होंगे कि माह अप्रैल 2013 में नया रायपुर में आई.पी.एल. मैच के आयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जैसे — कुर्सियाँ, टेलीविजन, क्लोज सर्किट कैमरा, एयर कंडीशनर्स, जनरेटर्स आदि — के क्रय की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्द्धा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रय, मूल निर्माता (Original Equipment Manufacturer) से ही करने का निर्णय लिया गया था एवं तदनुरूप निविदा शर्तों में इसे जोड़ा गया था। इस प्रक्रिया से सामग्री क्रय मद में कुल रुपए 20.96 करोड़ व्यय हुआ, जबकि मूल प्राक्कलन रुपए 33.20 करोड़ का था। इस प्रकार OEM से क्रय के फलस्वरूप रुपए 12.24 करोड़ अर्थात् 37 प्रतिशत की बचत हुई तथा गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

2. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा शासकीय विभाग तथा अधीनस्थ समस्त मंडलों, निगमों एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में रुपए 15 लाख वार्षिक से अधिक मूल्य के उपकरण एवं सामग्री अनिवार्यतः मूल निर्माता (OEM) से ही क्रय करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 29/06/2013 आप सभी को भेजा गया है।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराएं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैं इसकी समीक्षा करूँगा।

दिनांक 23/10/2021

1958 20/10/21

EXHIBIT 3

पंजी क्रमांक 1336

25 OCT 2021

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

....

क्रमांक एफ 20–70 / 2004 / 11 / (6) नया रायपुर, दिनांक 2?/10/21

P.S. on tour

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

20 OCT 2021

विषय:– शासकीय खरीदी मे मूल निर्माता (Original Equipment Manufacturer) से सामग्री क्रय करने बाबत् ।

शासकीय विभागो मे सामग्री क्रय करने के संबंध में, शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम – 2002 (यथा संशोधित 2004) जारी किये गये हैं । उक्त क्रय नियम को यथावत् लागू रखते हुए शासकीय खरीदी में मूल निर्माता (Original Equipment Manufacturer) से सामग्री क्रय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें–

1. वे सामग्री जिनकी कुल वार्षिक खरीदी रुपये 15 लाख से अधिक हो, उन प्रकरणों मे OEM (Original Equipment Manufacturer) से खरीदे जाने की शर्तें अनिवार्य होगी । इस शर्त को शिथिल करने का अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पास होगा ।
2. शेष प्रकरणों मे सामान्यतः OEM से खरीदने का यथासंभव प्रयास किया जाए ।
3. सभी प्रकरणों मे टेन्डर संबंधी अन्य प्रक्रियाओं तथा पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

यह आग्रह है कि राज्य शासन के समस्त विभाग अपने अधीनस्थ समस्त घटकों, मण्डलों, निगमों तथा शासन से सहायता प्राप्त सभी संस्थानों आदि को दिशा–निर्देश जारी कर पालन किया जाना सुनिश्चित करें । कृपया इस तरह के निर्देश की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को भी पृष्ठांकित करें ।

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।